16.06.25

वादी की ओर से वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील वादी द्वारा प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते अतः वादपत्र पुनः पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया। अतः वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का पुनः वादपत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्या सोनी)
RAS.

वाद आगे नहीं चलाना चाहता